364

माननीय सदस्य राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश मुख्यालय ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /17 III/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/3297

झम्मनलाल पुत्र श्री पुंने प्रजापति

आयु-48 वर्ष जाती – प्रजापति,

निवासी – ग्राम गितौर, परगना

महगांव जिला भिंड (म.प्र.)

.........निगरानीकर्ता / प्रार्थी

बनाम

1. इस्लाम खां पुत्र रफीक अहमद खां, आयु- 52 वर्ष, निवासी- तहसील मेहगांव, जिला भिंड (म.प्र.)

2. म.प्र. शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मेहगांव जिला भिंड (म.प्र.)

3. म.प्र. शासन द्वारा तहसीलदार महोदय, तहसील मेहगांव जिला भिंड (म.प्र.)

......असल रेस्पोंडेंट / प्रतिप्रार्थी

4. शीलादेवी पत्नी हरिशंकर जाती ब्राह्मण निवासी ग्राम करोंद तहसील अटेर हाल निवासी – ग्राम गितौर, परगना व तहसील मेहगांव जिला भिंड (म.प्र.)

5. हरिराम पुत्र सामले जाती बरेठा, निवासी – ग्राम गितौर, परगना व तहसील मेहगांव जिला भिंड (म.प्र.)

6. रामरतन पुत्र पुंने प्रजापति, निवासी – ग्राम गितौर, परगना व तहसील मेहगांव जिला भिंड (म.प्र.)

7. वासुदेव पुत्र पुंने प्रजापति, निवासी – ग्राम गितौर, परगना व तहसील मेहगांव जिला भिंड (म.प्र.)

8. जगरूप सिंह पुत्र मुकट सिंह भदोरिया, निवासी – ग्राम गितौर, परगना व तहसील मेहगांव जिला भिंड (म.प्र.)

.... **तरतीबी रेस्पोंडेंट**

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.स. 1959 विरुद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मेहगांव जिला भिंड द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/16-17/ 250 (इस्लाम खां / शीला देवी) में पारित आदेश दिनांक 31/08/17 एवं 06/09/17

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता द्वारा श्रीमान के समक्ष निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत की जा रही है

1. यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 250 म.प्र.भू.रा.स. 1959 का माननीय तहसीलदार महोदय तहसील मेहगांव जिला भिंड (म.प्र.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया
2. यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा विवादित सर्वे क्रमांक 1413 रकवा 1.03 का स्वामी बताकर उसके सीमांकन के आधार पर धारा 250 म.प्र.भू.रा.स. 1959 की कार्यवाही की गयी है जबकि उक्त सीमांकन में निगरानीकर्ता को पक्षकार नहीं बनाया गया है ना ही किसी भी प्रकार की सीमांकन की सूचना निगरानीकर्ता को दी गयी
3. यहकि, माननीय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार से प्रतिवेदन प्राप्त किये बगैर धारा 250 (क) म.प्र.भू.रा.स. 1959 की गयी कार्यवाही अनुचित एवं

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/3297 **जिला** - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। पेशी दिनांक **प्रशासकीय सदस्य**	